न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), ...

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या:— 50 / 2018

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

दिलबाग सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वीपीओ मटीलीराठान तहसील जिला श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र करतार सिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी पीपी.ओ. मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगविन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी पीपी.ओ. मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सर्वजीत कौर पत्नी लाल सिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी पीपी.ओ. मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
5. पाल कौर पुत्री अमरसिंह पत्नी देवसिंह जाति मजहबी सिख्या निवासी हाल कोट कपूरा पंजाब

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :— श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता (वादी)
श्री मंजू गुप्ता अधिवक्ता (प्रति.1 ता 3, 5)
पैरोकार राज (प्रति.4)

—: निर्णय :—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक :—30 अप्रेल 2018

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 मंगलसिंह जरिए अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान का वाद वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन आधारों पर प्रस्तुत किया है कि सुच्चा सिंह पुत्र चन्नसिंह के नाम से चक 15 एफ बडा तहसील जिला गंगानगर के खाता संख्या 64 / 57 मुरबा नम्रब 23 का 3.100 हैक्टर नहरी व 0.063 खाला तथा मुरबा नं. 24 का 3.163 हैटर कुल तादादी 6.323 हैटर अलाट किया गया था। जमाबंदी में दर्ज हुआ। उक्त रकबा की खातेदारी सन्द जारी होने पर उक्त रकबा का इन्तकाल सुच्चासिंह पुत्र चानन सिंह सरवन कौर पत्नी सुचचासिंह अमर कौर पुत्री सुच्चासिंह अमरसिंह पुत्र सुच्चासिंह केनाम सेदर्ज किया गया जो कि इनतकाल सं. 272 दिनांक 26.12.2012 के दर्ज किया गया व जमाबंदी में भी दर्ज हुआ। जमाबंदी की नकल शामिल है। इन्तकाल विरास्तन दर्ज किया गया जो कि उसके बाद विरास्तन इन्तकाल 294 दिनांक 21.08.20163 को दर्ज किया गया। सुच्चासिंह सरवन कौर अमरसिंह जगीरसिंह के देहान्त के बाद पालो पुत्री अमरसिंह 2.192 हैक्टर तथा अमर कौर पुत्री सुच्चासिंह 2.192 हैक्टर कुलवन्त कौर पुत्री सुच्चासिंह 0.626 हैटर व कुवन्त कौर पुत्री सुच्चा सिंह 0626 हैक्टर कश्मीर सिंह ... के नाम से 0.626 हैक्टर तथा बुटासिंह तरसेम सिंह गुरमीत कौर हरपाल ... 0.627 हैक्टर दर्ज है। अमर कौर ने अपने

(राजस्व)

जीवनकाल में अपनी उक्त खातेदारी भूमि 2.192 हैक्टर की वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के हक में दिनाक 17.05.2010 को एक बंद वसीयत जिला पंजीयक श्रीगंगानगर में करवा कर सील करवा कर रखी गई अमर कौर का देहान्त दिनांक 19.10.13 को होने पर उसकी उक्त बंद वसीयत को 09.01.2017 को खुलवाया जाकर तसदिक करवाया गया। वादी व प्रतिवादी पालो बहिस्सा बाराबर बराबर के खातेदार काश्तकार व हकदार है। अतः वादी व प्रतिवादी 6 उक्त भूमि 2.192 हैक्टर को अपनी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 6 वादी के साथ सहमत है। मगर आज रोज साथ ना होने से उसको तरतीब प्रतिवादीया बनाया गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 गलत तौर से ना केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 6 को बेदखल करने बल्कि गलत इन्तकाल की आड में रकबा की मुन्तकिल करने के प्रयास में है अतः अगर वह इसमें सफल हो गए तो वादी व प्रतिवादी 6 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा अतः दावा लाना आवश्यक हो गया है जिससे कि वादी अपने हिस्सा को अपने नाम से दर्ज करवा सके। वादी द्वारा वाद पत्र में निम्न प्रकार से दावा डिक्री करने का अनुतोष चाहा है– डिक्री घोषणा सादिर की जाकर अमरकौर की उक्त भूमि का दिनांक 09.01.2017 से वादी व प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि पतिवादी वादी के कब्जा में मदाखत करने से बाज व ममनु रहे।

प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी मंगलसिंह द्वारा दिनांक 06.04.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान का वाद पत्र आज न्यायाल में विचाराधीन है। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें वादी द्वारा डिक्री वसीयत नामा दिनांक 17.05.2010 रजि0 जिला पंजीयक श्रीगंगानगर के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से दर्ज करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। वादी के द्वारा इसी तरह का वाद श्रीमान न्यायालय में पेश कर रख है उस दावे में अनवानी दिलबाग सिंह बनाम मंगलसिंह पेशी 14.05.2018 नियत है। जिसमें भी वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 17.05.2010 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और वह गलत रूप से स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त करना चाहता हैं जबकि दोनों दावों में एक ही पक्षकार व एक ही अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार दावा तुच्छ तथ्यों पर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी कभी अपने पिता का नाम कशमीर सिंह व कभी अमरसिंह दर्ज करवाता है व सुविधा अनुसार अपने पिता के अनुसार अपने पिता का नाम अंकित कर दावा कर देता है इस प्रकार वादी न्यायालय को गुमराह कर नाजायज अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है। दावा बिना हक व अधिकार के किया गया है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योगय है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 निमय 11 सी.पी.सी. पेश करके निवेदन है कि दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्यानुसार उक्त भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम से किया गया है। वदी के हक में वसीयत व जमीन दोनो है इएलिए प्रथम दृष्टया मामला वादी के हक में है। वादी का नाम दिलबागसिंह व वसीयत उसके हक में हुई है। वार्द। द्वारा किसी प्रकार से न्यायालय को गुमराह नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जो भी ऐतराज वह वह अपने जवाबदावा में उठा सकते हैं इसलिए इस स्टेज पर प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

—: आदेश :—

पत्रावली के अवलोकन व दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान जाहिर केया कि वादी वाद पत्र में कभी अपने पिता का नाम कशमीरसिंह व कभी अमरसिंह दर्ज करवाता है व सुविधा अनुसार अपने पिता के अनुसार अपने पिता का नाम अंकित कर दावा कर देता है इस प्रकार वादी न्यायालय को गुमराह कर नाजायज अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है। वादी द्वारा पूर्व में भी प्रस्तुत वाद भी अस न्यायालय में विचाराधीन है एवं वादी पुनः समान प्रकृति एवं समान अनुतोष व पूर्व नें डिक्री वाद की भूमि से सम्बन्धित यह वाद न्यायालय में दोबारा पेश कर अनुतोष चाहता है जो न्यायालय का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ करता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नीमय 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। यथा पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30 अप्रेल 2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।